छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा एकादश सत्र अंक-20

रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 2017

(चैत्र 8, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 12 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 17 तारांकित एवं 34 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों की लड़ाई में बस्तर के बेकसूर आदिवासियों को नक्सलियों एवं पुलिस द्वारा परेशान किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई एवं सुकमा क्षेत्र में कनाडा के एक नागरिक के गुम हो जाने के संबंध में शासन से वक्तव्य की मांग की एवं यह भी कथन किया कि इस संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना भी दी है।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि मैंने स्थगन प्रस्ताव कक्ष में अग्राह्य कर दिया है। आज आपकी ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त हुई है, मैं उस पर विचार करूंगा।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने -

1. छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 एवं नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016, तथा
2. वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 43 सन् 1995) की धारा 98 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 **पटल पर रखे।**

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), सदस्य ने प्रदेश में 108 एम्बुलेंस के चालकों या परिचालकों द्वारा बिना मरीज की सहमति के निजी अस्पतालों में भर्ती कराये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री शिवशंकर पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

(2) श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने जिला मुख्यालय नारायणपुर के महावीर स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लाभचंद बाफना, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम
(2) डॉ. विमल चोपड़ा
(3) श्री मोतीलाल देवांगन
(4) श्री बृहस्पत सिंह

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2017 (क्रमांक 4 सन् 2017)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2017 (क्रमांक 4 सन् 2017) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री देवजी भाई पटेल,

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

श्री सत्यनारायण शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री श्यामबिहारी जायसवाल, धनेन्द्र साहू,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

डॉ. सनम जांगड़े, डॉ. विमल चोपड़ा, श्री कवासी लखमा

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

7. वक्तव्य

कनाडा के निवासी श्री जॉन सिजाक के सुकमा में गुम होने के संबंध में

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया कि - कनाडा के नागरिक श्री जॉन सिजाक, आई.आर.सी.सी., यू.एस.ए. दिनांक 27 मार्च, 2017 की शाम से सुकमा जिले के अत्यंत दुर्गम जंगल इलाके में लापता हो गये । उनके लापता होने की सूचना, उनके द्वारा इमरजेंसी एस.ओ.एस. मैसेज के द्वारा अमेरिकन एजेंसी के मदद से पुलिस अधीक्षक, सुकमा को प्राप्त

हुई। उनके द्वारा दबाए गए इमरजेंसी बटन के अक्षांश-देशांश(coordinates) (18 06 50N 081 10 54E) यह इंगित करते थे कि उस वक्त वे सिंघनमड़गू, थाना चिंतागुफा, जिला सुकमा क्षेत्र में थे । यह इलाका चारों ओर से उँचे पहाड़ों एवं जंगलों से आच्छादित है और भेजी, चिंतागुफा, किस्टाराम और गोलापल्ली के बीचोबीच क्षेत्र में है जो कि नक्सलियों के मिलिट्री बटालियन का क्षेत्र माना जाता है ।

घटना की सूचना मिलते ही राज्य पुलिस के द्वारा इनको खोजने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है । चूंकि वे संभवत: रास्ता भटक जाने के कारण उस इलाके में पहुंच गए हैं और बाहरी व्यक्ति होने के कारण उन्हें गांव वालों के द्वारा रोक लिया गया है ।

उनकी सकुशल वापसी के लिए स्थानीय व्यक्तियों को सिंघनमड़गू गांव भेजा गया है । स्थिति पर लगातार निगाह रखी जा रही है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

सर्वश्री केशव चन्द्रा, शिवरतन शर्मा, टी.एस. सिंहदेव,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सूचित किया कि विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 158 (2) के तहत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक (क्रमांक 2) विधेयक, 2017 के विचार एवं पारण हेतु 5.00 बजे तक का समय निर्धारित है। चूंकि चर्चा अभी शेष है, अत: नियम 158 (2) को शिथिल करते हुए विनियोग विधेयक पारित होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई।)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2,3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2017 (क्रमांक 4 सन् 2017) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

सायं 7.22 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 30 मार्च, 2017 (चैत्र-9, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा